पशुपालन स्टार्टअप के लिए 50% तक सब्सिडी देगी सरकार

■ पहली बार शुरू होगा राज्य पशुधन मिशन, शासनादेश जारी
■ पशु आधारित उद्योग और रोजगार के लिए सरकार की पहल

■ **NBT रिपोर्ट, लखनऊ :** प्रदेश सरकार पशु आधारित रोजगार विकसित करने के लिए पहली बार राज्य पशुधन मिशन (SLM) शुरू करने जा रही है। इस बाबत शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके लिए सरकार पशुपालन स्टार्टअप यूनिट के लिए 50% तक आर्थिक मदद करेगी। साथ ही बैंक ऋण की भी सुविधा होगी। इनका लाभ छोटे किसानों से लेकर निजी क्षेत्र की बड़ी यूनिट को मिलेगा।

छोटे-बड़े पशुपालन यूनिट लग सकेंगे : मिशन के तहत गाय, भैंस के अलावा बकरी, भेड़, सूकर और कुक्कुट पालन के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए पूरे प्रदेश की मैपिंग की जाएगी। सभी नौ क्लाइमेटिक जोन और जलवायु के आधार पर पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही इनके लिए बाजार तैयार किया जाएगा। पशु उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार तैयार करने में मदद की जाएगी। नई तकनीक और कौशल प्रशिक्षण भी युवाओं को दिया जाएगा।

ऐसे मिलेगी मदद : प्रदेश सरकार लघु डेयरी यूनिट के लिए पांच से 10 भैंस की इकाई स्थापित करने में मदद करेगी। लघु पशु जैसे भेड़, बकरी, सूकर पालन इकाई लगाने में मदद करेगी। भेड़ पालन के लिए 50 फीमेल और 5 मेल, बकरी पालन के लिए 100 फीमेल और 5 मेल, सुकर पालन के लिए 200 फीमेल और 10 मेल पशुओं की यूनिट पर आर्थिक मदद देगी। स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तिगत तौर पर यूनिट स्थापित करने में अलग-अलग मदद देगी। मिशन के तहत सरकार इन यूनिट को 50% तक आर्थिक सहायता देगी। आवेदक को 50% लागत स्वयं वहन करनी होगी। यदि बैंक ऋण लेता है तो 50% लोन की गारंटी देनी होगी। इन योजनाओं में आवेदक अधिकतम 75% तक ऋण ले सकेगा।